(रक्षा उत्पादन विभाग)

(वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2015

**का.नि.आ. 55.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और (i) तकनीकी विकास निदेशालय और उत्पादन (वायु) संगठन, रक्षा मंत्रालय, कनिष्ठ अनुवादक भर्ती नियम, 1985 (ii) तकनीकी विकास और उत्पादन (वायु) संगठन, रक्षा मंत्रालय, ज्येष्ठ अनुवादक भर्ती नियम, 1988 और तकनीकी विकास तथा उत्पादन नियम (वायु) संगठन, रक्षा मंत्रालय वरिष्ठ अनुवादक (समूह 'ग') भर्ती (संशोधन) नियम, 1996 और (iii) तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय (वायु) अनुवाद अधिकारी (ग्रुप 'बी' पद) भर्ती नियम 1992 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग में अनुवाद काडर (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, अनुवाद काडर (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान:** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि:** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**_ वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त किसी पदों पर नियुक्ति का पात्र नही होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान | चयन या अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| (1)सहायक निदेशक (राजभाषा) | 01* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड-3, 15600-39100रु + ग्रेड वेतन 5400रु | चयन | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | **भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | एक वर्ष | प्रोन्नति द्वारा |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| **प्रोन्नति**: वेतन बैंड 2, 9300-34800 रु + ग्रेड वेतन 4600 रु में ऐसे ज्येष्ठ अनुवादक जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा विहित संस्थान से अनुवाद संबंधित कार्य में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।<br>**टिप्पण 1**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।<br>**टिप्पण 2**: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर | **समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :-**<br>1. अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष<br>2. अतिरिक्त महानिदेशक (मुख्यालय), वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन -सदस्य<br>3. रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग से उप सचिव या समतुल्य –सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |

| | | |
|---|---|---|
| आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| (2) ज्येष्ठ अनुवादक | 03* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड-2, 9300- 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. | चयन | लागू नहीं होता। |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रोन्नति द्वारा |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| **प्रोन्नति:** वेतन बैंड 2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में ऐसे कनिष्ठ अनुवादक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा विहित संस्थान से अनुवाद संबंधित कार्य में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।<br>**टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।<br>**टिप्पण 2:**प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। | **समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-**<br>1. वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय से निदेशक -अध्यक्ष<br>2. वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय से संयुक्त निदेशक -सदस्य<br>3. वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय से उप निदेशक -सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| (3) कनिष्ठ अनुवादक | 10*<br>(2015)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड-2, 9300-34800रु + ग्रेड वेतन 4200रु | लागू नहीं होता। | तीस वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)<br>**टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|
| किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या<br>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या<br>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी माध्यम से हिन्दी और अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहें हों या परीक्षा का माध्यम के रूप में रहा हो; या<br>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से हिन्दी और अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहें हों या परीक्षा का माध्यम के रूप में रहा हो; या | लागू नहीं होता। | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा :<br>**टिप्पण** : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।<br>(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और<br>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :-<br>**टिप्पण** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से |

| | | | |
|---|---|---|---|
| किसी मान्यताप्रापत विश्वविद्यालय से हिन्दी और अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहें हों या इन दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम के रूप में रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो: और हिन्दी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों के कार्यालयों में, जिनके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, हिन्दी से अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का दो वर्ष का अनुभव हो।<br>**टिप्पण** :अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है। | | | ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| लागू नहीं | **समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-**<br>1. वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय से निदेशक -अध्यक्ष<br>2. वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय से संयुक्त निदेशक -सदस्य<br>3. वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय से उप निदेशक -सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। |

[फा. सं. 4630/आर.आर./टी.ओ./डी.जी.ए.क्यू.ए./प्रशासन-II/डी (एच ए एल)]

इन्द्रजीत सेठी, अवर सचिव

**(Department of Defence Production)**

**(Directorate General of Aeronautical Quality Assurance)**

New Delhi, the 11th December, 2015

**S.R.O. 55.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the (i) Directorate of Technical Development and Production(Air) Organisation,Ministry of Defence, Junior Translator Recruitment Rules, 1985, (ii) Directorate of Technical Development and Production(Air) Organisation, Ministry of Defence, Senior Translator (Group C) Recruitment Rules, 1988 and Directorate of Technical Development and Production(Air) Organisation, Ministry of Defence, Senior Translator (Group C) Recruitment (Amendment) Rules, 1996 and (iii) The Directorate of Technical Development and Production(Air), Translation Officer (Group 'B' post) Recruitment Rules, 1992 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment of Translation Cadre (Group A and B posts)in the Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Department of Defence Production under the Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement.—**

(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Translation Cadre (Group A and B posts) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale .—** The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4 ) of the said Schedule.

3. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.—** The method of recruitment, age- limit, qualifications and other related matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission , relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .—** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of posts | Classification | Pay band and grade pay | Whether selection or non selection post | Age limit for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Assistant Director (OL) | *01 (2015)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-ministerial. | Pay Band-3, Rs15600-39100 Grade Pay of Rs 5400. | Selection | Not applicable. |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any. | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and the percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| Not applicable. | Not applicable. | One year | By Promotion |

| In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| **Promotion :** Senior Translator in Pay Band 2, Rs 9300-34800 with Grade Pay of Rs 4600 with three years regular service in the grade and have successfully completed the training of two weeks in translation related work, from the institute prescribed by the administrative ministry or department.<br>**Note 1.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.<br>**Note 2.-**For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. | **Group 'A' Departmental Promotion Committee :**<br>**(for considering promotion)**<br>1. Chairman or Member, UPSC – Chairman<br>2.Additional Director General(HQ), Aeronautical Quality Assurance– Member<br><br>3. Deputy Secretary or equivalent from Ministry of Defence, Department of Defence Production– Member. | Consultation with Union Public Service Commission is necessary. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.Senior Translator | *03 (2015)<br><br>*Subject to variation dependent on workload | General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Pay Band-2,<br>Rs. 9300-34800<br>Grade Pay of Rs. 4600. | Selection | Not applicable |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | By Promotion |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| **Promotion :** Junior Translator in Pay Band 2, Rs 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4200 with five years regular service in the grade and have successfully completed the training of two weeks in translation related work, from the institute prescribed by the administrative ministry or department.<br>**Note 1.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility | **Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-**<br>1. Director from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance – Chairman<br>2. Joint Director from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance – Member<br>3. Deputy Director from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance – Member. | Consultation with Union Public Service Commission is not necessary. |

| | | |
|---|---|---|
| service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.<br>**Note 2**.-For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January,2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Junior Translator | *10 (2015)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Pay Band-2, Rs 9300-34800 Grade Pay of Rs. 4200. | Not applicable. | Not exceeding thirty years.<br>(Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)<br>**Note 1**: - The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). |

| (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|
| Master's degree of a recognised university in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;<br>or<br>Master's degree of a recognised university in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;<br>or<br>Master's degree of a recognised university in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;<br>or<br>Master's degree of a recognised university in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subjects or as the medium of examination at the degree level;<br>or<br>Master's degree of a recognised university in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level;<br>and<br>Recognised Diploma or certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government office, including Government of India Undertaking.<br>**Note:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. | Not applicable. | Two years | By direct recruitment.<br>**Note:**<br>Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government:-<br>(a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department;<br>and<br>(b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Col 7.<br>**Note.** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the date of receipt of applications. |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|
| Not applicable. | **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-**<br>1. Director from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance – Chairman.<br>2. Joint Director from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance – Member.<br>3. Deputy Director from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance – Member. | Consultation with Union Public Service Commission is not necessary. |

[F. No. 4630/RRs/TO/DGAQA/Adm-II/D(HAL)]

INDERJEET SETHI, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.